

4808

खून के रिश्ते मे सम्पति अन्तरण संलेख/ तबदील मलकियत

UP (BLOOD RELATION TRANSFER DEED)

No Dues
T.R.A.

भारतीय स्टाप अधिनियम 1899 (1899 को केन्द्रीय अधिनियम 2) की धारा की उप धारा (1) के खण्ड (क) हरियाणा के राज्यपाल द्वारा S.O. 62 / C.A 2 / 1899 / S.9/ 2014 DATED 16/6/2014 DS द्वारा स्टाप शुल्क से छूट है ।

किस्म वसीका : ट्रांसफरडीड / तबदीयल मलकियत

स्थान का नाम : वत्स कालोनी रेलवे लाईनपार

अन्दर नगरपालिका बहादुरगढ।

रकबा : 33 वर्ग गज

रिलेशन : बेटी से पिता के हक में

मैं कि श्रीमती अरुणा जैन पत्नी श्री अरविन्द जैन पुत्र श्री रमेशचन्द पुत्री औमप्रकाश जैन पुत्र स्व० श्री दुर्गा प्रसाद जैन निवासी दुकान नं० 13 अनाज मण्डी, बहादुरगढ जिला झज्जर हरि० कि हुं। जो कि एक किता प्लाट 33/66 भाग बकदर रकबा 33 वर्ग गज मिन जुमला आराजी खेवट नं० 23 मिन/20 खतौनी नं० 24 मिन खसरान नं० 24/10 (8-12) मौजा परनाला जिसकी सीमाएँ व पमाईश इस प्रकार है।

पुर्व:-मैन नाहरा नाहरी रोड

पश्चिम:-प्लाट प्रतिभा जैन

41-00

38.7

Attested
Certified True Copy

Sub Registrar
Bhadrachal

15-2-2016

प्रलेख नः 4808

दिनांक 28/08/2014

डीड संबंधी विवरण	
डीड का नाम	TRANSFER OF IMMOVABLE PROPERTY WITHIN BLOOD RELATION
तहसील/सब-तहसील	बहादुरगढ़
गांव/शहर	परनाला
धन संबंधी विवरण	
रजिस्ट्रेशन फीस की राशि	100.00 रुपये
पेस्टिंग शुल्क	3.00 रुपये

Drafted By: R.L. Kaushik

Service Charge: 200.00 रुपये

यह प्रलेख आज दिनांक 28/08/2014 दिन गुरुवार समय 9:40:00AM बजे श्री/श्रीमती/कुमारी अरुणा जैन पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती/कुमारी अरविन्द जैन निवासी परनाला द्वारा पंजीकरण हेतु प्रस्तुत किया गया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता

श्री अरुणा जैन

उप/संयुक्त पंजीयन अधिकारी
बहादुरगढ़

उपरोक्त पंजीकर्ता व श्री/श्रीमती/कुमारी अरविन्द जैन निवासी परनाला द्वारा प्रस्तुत प्रलेख के तथ्यों को दोनों पक्षों ने सुनकर तथा समझकर स्वीकार किया। दोनों पक्षों की पहचान श्री/श्रीमती/कुमारी अरुणा जैन पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती/कुमारी अरविन्द जैन निवासी परनाला व श्री/श्रीमती/कुमारी अरविन्द जैन पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती/कुमारी अरुणा जैन निवासी बगद ने की। साक्षी नः 1 को हम नम्बरदार/अधिवक्ता के रूप में जानते हैं तथा वह साक्षी नः 2 की पहचान करता है।

दिनांक 28/08/2014

उप/संयुक्त पंजीयन अधिकारी
बहादुरगढ़

उत्तर:- गली 15 फुट चौ0 दक्षिण:-दुकान जय अम्बे टुल ट्वलस

20.0.05

10.03

वाक्या वत्स कालोनी रेलवे लाईनपार नजदीक जय माता गैस एजेन्सी, अन्दर नगरपालिका तहसील बहादुरगढ जिला झज्जर की में बरुवे रजिस्ट्री दस्तावेज नं0 3932 दिनांक 01/08/2008 सब रजिस्ट्रार बहादुरगढ की रुह से 1/2 भाग मालिक व काबिज हुं । मेरे उक्त प्लॉट पर किसी भी प्रकार का कोई भाई-चारा विवाद, स्टे आर्डर, मुकद्मा आदि नहीं है। मेरा उक्त प्लॉट सभी प्रकार के भारों व ऋण आदि से पाक व साफ हैं। अतः अब मैं अपने पूरे होश व हवाश से प्रतिज्ञा करती हुं। व लिख देती हुं कि मैं अपने उक्त प्लॉट को मय हक राह रास्ते आदि सभी अधिकारों सहित अपने पिता को ट्रांसफर करने का पूरा अधिकार हासिल है। अतः अब मैंने अपनी प्रसन्नता एवं रजाबन्दी से उक्त प्लॉट का मय हक रास्ता वगैरा व सर्व अधिकारों सहित, वा जो भी मलकियत मजकूर मे मुझे बतौर मालिक हक हासिल है वे सभी अधिकार (भू रुवामित्व के तमाम अधिकार, पाताल से आकाश तक) बिना किसी प्रतिफल के व बिना कोई धन राशि प्राप्त किये अपने पिता औमप्रकाश जैन पुत्र स्व0 श्री दुर्गा प्रसाद जैन निवासी दुकान नं0 13 अनाज मण्डी बहादुरगढ जिला झज्जर हरि0 को ट्रांसफर / अन्तरण कर दिए है आज के बाद अन्तरण / ट्रांसफर किये गए प्लॉट से मेरा व मेरे किसी भी वारसान का कोई ताल्लुक वास्ता नहीं होगा। भविष्य मे मेरे अन्य किसी वारसान व उक्त



Attested
Certified True Copy

Sub Registrar
Bahadurgarh

15-2-2016

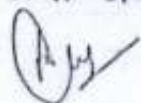
अन्तरण प्लॉट की बाबत कोई हक व हिस्सा जताया तो झूठा माना जाए। कब्जा मौके पर मैंने अपने पिता का करा दिया है वह पूर्णतया मालिक स्वामी हो गये हैं। वह जिस प्रकार चाहे उपरोक्त वर्णित प्लॉट को प्रयोग कर सकता है या तुन्तिल (बैय) कर सकते हैं। उक्त सम्पति अन्तरणा संलेख सरकार के नियम व कानून के अनुसार तहरीर की है। मैंने इस संलेख में प्लॉट ट्रांसफर होने वाले नियम /खून के रिस्ते के तथ्यों को नहीं छुपाया है

मनमून अन्तरण संलेख फरीकेन ने पढ़कर सुन व समझ लिया है जो सही व दुरुस्त है। जिसे ठीक मान कर अपने हस्ताकर / अगूठ निशान लगाये हैं। अतः यह सम्पति अन्तरणा संलेख (BLOOD RELATION TRANSFER DEED) / तबदील मलकियत लिख दिया है कि सनन्द रहे

आज दिनांक .१६/८/२०१५.....

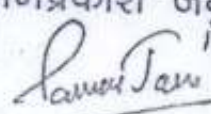
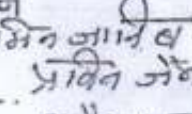
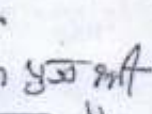
ट्रांसफर कर्ता (अन्तरण कर्ता)

अरुणा जैन



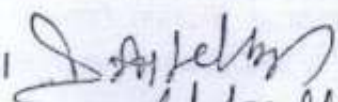
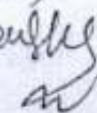
सम्पति प्राप्त कर्ता

औमप्रकाश जैन

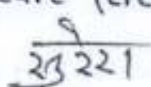
  
अरुण जैन पुत्र श्री
औम प्रकाश जैन

साक्षी :-1 अरविन्द कुमार जैन पुत्र स्व०

श्री जगदीश प्रसाद जैन निवासी लम्बी गली बहादूरगढ़।

साक्षी :-2 सुरेश नम्बरदार (सराय औरगांवादा)



Attested
Certified True Copy

Sub Registrar
Bahadurgarh

15-2-2016

Reg. No.

4,808

Reg. Year

2014-2015

Book No.

1



पेशकर्ता



दावेदार



गवाह

पेशकर्ता	अरुणा जैन		
दावेदार	चणरिष प्रविण जैन		
गवाह	सुरेश नम्बरदार		
गवाह	अरविन्द जैन		

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यह प्रलेख क्रमांक 4,808 आज दिनांक 28/08/2014 को बही न: 1 जिल्द न: 301 के पृष्ठ न: 140 पर पंजीकृत किया गया तथा इसकी एक प्रति अतिरिक्त यही सख्या 1 जिल्द न: 947 के पृष्ठ सख्या 83 से 84 पर चिपकाई गयी। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि इस दस्तावेज के प्रस्तुतकर्ता और गवाहों ने अपने हस्ताक्षर/निहान अंगुठा मेरे सामने किये हैं।

दिनांक 28/08/2014

उप/संयुक्त पंजीयन अधिकारी
बहादुरगढ़



7667
M.S. PATWA
STAMP VERIFICATION

29 JAN 2016

BARAJKAR & CO.

15064

अवधि ५ व ७ वर्षीय आय ४५

वसीका नं ५४०४ दिनांक २४-४-२०१५
नकल शुद्धाधिक असल है.

Attested
Certified Copy

By Registrar
Mumbai

15-2-2016

[illegible]

रहित वृत्तचक्र

[illegible]

“मजहब से कहिये कि आराम से जमा-बन्दी के साथ मिली हो सकें।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति